न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश, ग्वालियर

प्र0क्र0 /2011 पुनरावलोकन Review-1885-PBR/2011

श्रीमती आराधना गौतम पत्नी अरुण गौतम
निवासी - मकान नं0 60, शान्ति निकेतन
गोविन्दपुरा, भोपाल ------- आवेदक

विरुद्ध

मध्यप्रदेश स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रीज डेवलपमेन्ट
कार्पोरेशन, पंचानन भवन, तृतीय तल, मालवीय
नगर, भोपाल --------- अनावेदक

श्री एस. के. ... अभि0 द्वारा आज दि. 14-12-11 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट 14-12-11 राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 656-पीबीआर/2009 पुनरीक्षण में
दिनांक 21-9-2010 को श्री दिलीप मेहरा अध्यक्ष
द्वारा पारित आदेश के पुनरावलोकन हेतु आवेदन
अन्तर्गत धारा-51 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1885–पीबीआर/2011 [आवेदना / म०प्र० शासन इत्यादि] जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10–11–16	आवेदक पक्ष को भेजा गया नोटिस पता सही नहीं होने से वापिस प्राप्त । आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक का पता सही प्रस्तुत नहीं किया गया है । इस कारण यह रिव्यु वर्ष 2011 से लंबित है तथा आवेदकपक्ष द्वारा प्रकरण में कोई रूचि नहीं ली जा रही है और न ही उपस्थित हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में रिव्यु आवेदन में उठाये गये आधारों पर विचार किया जा रहा है । 2– प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 656–पीबीआर/2009 में पारित आदेश दिनांक 21–9–2010 के विरूद्ध म0प्र0भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 3– आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी । 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती । 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । आवेदक सूचित हों । अध्यक्ष	